FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट– उंखलियॉ

गलकू पुत्री नन्दा मृतक के स्थान पर माधु पिता हीरा जाट निवासी – जूनीखेडा

बनाम

शिव पिता रामा जाट वगैराह निवासी– कुशालपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए रा.टी.ए. प्रकरण संख्या–1703/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट उंखलियॉ पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण मय वकील के अनुपस्थित। विधिवित् आवाजें लगवाई गई। वकील वादी की इस्तदुआ पर वकील वादी की एकतरफा वहस सूनी गई। वक्त वहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मृतदाविया वादीया व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात है जो रायमल के समय की है, तथा विरासत से वादीया के पिता नन्दा के नाम दर्ज हुई है। खातेदार नन्दा के फौत हो जाने के वाद उक्त आराजीयात का विरासत के आधार पर उसकी एकमात्र वारिस वादीया के नाम खाता खुलना चाहिये था, किन्तु नामान्तकरण संख्या– 24 में नन्दा के कोई लडका व पत्नि नही होना वताकर मृतक खातेदार नन्दा के भाईयों ने अपने नाम नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो गलत व कानून के विरुद्ध होकर वादीया के हक अधिकारों पर नाजायज व वेअसर है। जवकि वादीया अपने पिता की आराजी पर काविज काश्त चली आ रही थी, अन्त में कथन किया कि वादीया नन्दा की एकमात्र वारिस होने से उनसे हिस्से की आराजी वादीया के नाम पर दर्ज करवायी जावें। मैंने वकील वादी को सूना । वहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमावन्दी सम्वत् 2019–2021 मौजा जूनी खेडा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्वर– 40, 41, 42, 43, 44 किता 5 रकवा 14 वीघा 19 विस्वा भूमि नन्दा, हीरा, रामा, उगमा पिता रायमल जाट साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 24 विरासत से नन्दा के वजाय हीरा, रामा, उगमा पिता रायमल का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली पर	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2021 मौजा जूनी खेडा के अनुसार साविक आराजी नम्बर– 40, 41, 42, 43, 44 के नये नम्बर– 33, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154 बनाये जाना स्पष्ट हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 मौजा जूनीखेडा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 33, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154 किता 10 रकबा 19 बीघा भूमि रामदेव पिता हीरा, बलदेव, नारायण, घासी, रामकुँवार पिता उगमा, रुकमा बेवा उगमा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

चुँकि यहाँ यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि 1/4 हक हिस्से से नन्दा पिता रायमल जाट, साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी । मृतक खातेदार नन्दा की एकमात्र वारिस वादीया गलकू है, मृतक खातेदार नन्दा की मृत्यु के बाद नन्दा के हक हिस्से की आराजी उसकी पुत्री गलकू के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु ग्राम पंचाचत के द्वारा मृतक खातेदार नन्दा की विरासत का नामान्तकरण संख्या– 24 खातेदार नन्दा के भाई हीरा, रामा, उगमा के नाम दिनांक 13.06.1965 को निर्णित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होकर वादीया के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। क्योंकि मृतक खातेदार नन्दा की प्रथम श्रेणी की वारिस वादीया जीवित थी तो द्वितीय श्रेणी की वारिसों के नाम नामान्तकरण निर्णित करने का ग्राम पंचाचत को कोई अधिकार नही था, और ऐसे विधि विरुद्ध नामान्तकरण से मृतक खातेदार के भाईयों को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। तद्नुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है। चुँकि अब वादीया की मृत्यु हो चूकी है ऐसी स्थिति में न्यायालय यह आदेश सूनाया जाना मूनासिब समझता है कि–

"निर्णय"

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा जूनीखेडा पटवार हल्का उंखलिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 33, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154 किता 10 रकबा 19 बीघा भूमि में गलकू पुत्री नन्दा जाट निवासी जूनीखेडा के विधिक वारिसों को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक गलकू के विधिक वारिसों की जॉच

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कर एक माह के भीतर नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही सम्पादित करें। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट उंखलिया पर सूनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner